राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Website : secjharkhand.nic.in
Email: jsec-jhr@nic.in
दूरभाष: 0651–2284012 / 9264474491
फैक्स: 0651–2280287

संख्याः– 03नि0 / पं0–154 / 2022 रा0नि0आ0 542 राँची, दिनांक 7/4/22

प्रेषक,

राधे श्याम प्रसाद,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–उपायुक्त, झारखण्ड।

विषयः– झारखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों को गठित करने के निमित्त निर्वाचन हेतु अधिसूचना का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों को गठित करने के उद्देश्य से मतदान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुशंसित तिथियों पर महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा पंचायती राज विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना संख्या 729 दिनांक 09.04.2022 निर्गत की जा चुकी है। तद्नुसार झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 36 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा निर्वाचन का विभिन्न प्रक्रमों को नियत कर अधिसूचित किया गया है (प्रति संलग्न) जिसके संबंध में आपके स्तर से निम्नांकित कार्रवाई ससमय किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक है।

1. **<u>प्रपत्र–5 में निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना का प्रकाशन :</u>**

(1) प्रपत्र–5 में निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना का प्रकाशन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा।

(2) निर्वाचन के प्रत्येक चरण हेतु सूचना प्रकाशन की तिथि अलग–अलग निर्धारित है। अतः उक्त तिथियों को ही इसका प्रकाशन निश्चित रूप से कर दिया जाए।

(3) ऐसा कदापि नहीं होगा कि यदि किसी जिले में दो चरण में निर्वाचन सम्पन्न हो रहा है या तीन चरण में या चार चरण में, तो उसके लिए एक ही तिथि को एक ही साथ प्रपत्र–5 में सूचना प्रकाशित कर दी जाए।

(4) इस प्रकार

प्रथम चरण के लिए 16.04.2022 को,

द्वितीय चरण के लिए 20.04.2022 को,

तृतीय चरण के लिए 25.04.2022 को,

चतुर्थ चरण के लिए 29.04.2022 को सूचना (प्रपत्र–5 में) प्रकाशित की जाएगी।

(5) यह सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के अतिरिक्त नियम 37 के अनुसार संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में भी प्रकाशित की जाएगी।

(6) इसके अतिरिक्त अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा क्योंकि पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी एवं उसके समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को ही निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है।

(7) सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) यह प्रयास करेंगे कि ऐसी सूचना निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक अवश्य ही प्रकाशित हो जाए तथा अपराह्न 3:00 बजे तक एतद् संबंधी सूचना द्रुत माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाए।

2. <u>नाम–निर्देशन पत्र दाखिल किया जाना</u> :

(1) प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी।

(2) नाम–निर्देशन पत्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में दाखिल किया जाएगा।

(3) निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

(4) सार्वजनिक अवकाश के दिन (एन0आई0एक्ट के तहत् घोषित अवकाश) नाम–निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे।

(5) नाम–निर्देशन पत्रों को दाखिल करने हेतु अंतिम तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके अगले दिन तथा उस दिन भी सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके अगले दिन उसे दाखिल किया जाएगा जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो।

3. <u>नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा</u> :

(1) पंचायत निर्वाचन के लिए निर्गत अधिसूचना के अनुरूप निर्धारित तिथि को एवं निर्धारित अवधि अर्थात् पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक ही नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी।

(2) संवीक्षा, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में की जाएगी।

(3) यद्यपि सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है परन्तु उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी कोई आदेश उसके द्वारा अभिलिखित नहीं किया जाएगा।

(4) केवल निर्वाची पदाधिकारी ही नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी अपना अभिनिश्चय अंकित करेगा।

(5) यदि वह अस्वीकृत करता है तो उसे आदेश फलक (Order Sheet) में अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करना चाहिए, क्योंकि यह एक अर्ध–न्यायिक (Quasi judicial) प्रक्रिया है।

(6) नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा उसी क्रम में करनी चाहिए जिस क्रम में उन्हें प्राप्त किया गया है।

(7) संवीक्षा का कार्य सार्वजनिक अवकाश के दिन नहीं किया जाएगा। यदि अंतिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके अगले दिन तथा उस दिन भी सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके अगले दिन उसे किया जाएगा जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो।

4. <u>अभ्यर्थिता से नाम वापस :</u>

(1) अभ्यर्थिता की वापसी हेतु नियमावली के प्रपत्र–8 में सूचना प्राप्त की जाएगी।

(2) ऐसी सूचना स्वयं अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता (यदि कोई हो तो) दे सकता है।

(3) ऐसी सूचना केवल निर्वाची पदाधिकारी को ही उसके कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं अवधि में दी जाएगी।

(4) यदि अभ्यर्थिता की वापसी हेतु प्रपत्र–8 में सूचना अभ्यर्थी का प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्त्ता दे रहा हो तो मामले में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

(5) एक बार अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन दे दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

5. <u>निर्वाचन प्रतीक आवंटन :</u>

(1) अभ्यर्थिता वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची नियमावली के प्रपत्र–9 में प्रकाशित की जाएगी जो देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रम में तैयार की जाएगी।

(2) इसी तैयार सूची के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा।

(3) निर्वाचन प्रतीकों की विवरणी एवं उनके आवंटन की रीति आयोग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में अंकित है जो निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में संलग्न है। इसके अतिरिक्त इसकी प्रति सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है।

(4) निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य निर्धारित तिथि को तबतक किया जाएगा जब तक यह कार्य पूर्ण न हो जाए।

6. मतगणना :

(1) राज्य के सभी अनुमण्डल मुख्यालयों (अधिसूचित) में मतगणना का कार्य सम्पन्न कराने हेतु आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(2) जिस जिले में एक ही अनुमण्डल अर्थात् सदर अनुमण्डल है वहां यह कार्य जिला मुख्यालय में किया जाएगा।

(3) मतगणना का कार्य प्रातः 8:00 बजे से प्रारम्भ कर लगातार (रात्रि को छोड़कर) किया जाएगा जब तक यह कार्य पूर्ण न हो जाए।

(4) पंचायत निर्वाचन दो से लेकर चार चरणों में सम्पन्न हो रहा है तथा राज्य के जिलों को विभिन्न चरणों में बांट कर निर्वाचन सम्पन्न कराया जा रहा है, जिसमें प्रखण्डों को ईकाई माना गया है। अतः पहले एवं दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति के पश्चात् ही चरणवार मतगणना का कार्य सम्पन्न करा लिया जाएगा तथा तीसरे एवं चौथे चरण की मतगणना चौथे चरण के मतदान की समाप्ति के पश्चात् एक साथ कराई जाएगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : अधिसूचना की प्रति।

9/4/22

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।